रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-455/2026/1629/22-2-2025-17(1006)/2025

लखनऊ : दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2 (घ) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्वतंत्रता दिवस, 2025 (15 अगस्त, 2025) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामप्रकाश (बन्दी संख्या-28791) पुत्र श्री रघुनन्दन, जो मीरपुर, थाना-गुरूसहायगंज, जनपद-कन्नौज का निवासी हैं, बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-169/1982, भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, स्पेशल जज, ई0सी0 एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 11.09.1984 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.11.2022 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.08.2025 तक 12 वर्ष, 01 माह, 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष, 03 माह, 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-455/2026/1629(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

3- पुलिस अधीक्षक, कन्नौज।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ ।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in